बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0–01/निगम–09–06/2025, परि0 5516 पटना, दिनांक– 03/7/2025

देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/आम नागरिकों को दुर्गा पूजा, छठ, ईद एवं होली के अवसर पर आवागमन में ट्रेनों एवं अन्य परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर ए0सी0 बसों को चलाये जाने की योजना है।

2. इसके अंतर्गत बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में रहने वाले लगभग 03 हजार यात्रियों को प्रतिदिन महत्वपूर्ण पर्व यथा दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह एवं होली में एक माह सहित कुल 03 माह प्रत्येक वर्ष 05 वर्षों तक अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय मार्गो पर बसों के संचालन हेतु लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों को नई ए0सी0 बस के खरीद पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये प्रति बस की दर से 150 बसों का क्रय किया जाना है, जिसमें बस क्रय के प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत कुल 30.00 करोड़ (तीस करोड़) एवं योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु आकस्मिकता मद में योजना लागत का 02% अर्थात 60.00 (साठ लाख) रूपये सहित कुल 30.60 करोड़ (तीस करोड़ साठ लाख) रूपये की व्यय किया जाना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक प्रभावी है।

3. प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा निजी बस ऑपरेटर से बस के परिचालन हेतु 05 वर्ष के एकरारनामा एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा निर्धारित विशिष्टता **(2x2 Push Back 44 Seater/Sleeper) के अनुरूप नयी ए0सी0 बस क्रय करने पर प्रति बस 20.00 (बीस लाख) रूपये प्रोत्साहन सहायता के रूप में निजी बस ऑपरेटर को उपलब्ध कराने के निमित 30.60 करोड़ (तीस करोड़ साठ लाख)रूपये की स्वीकृति दी जाती है।** इसके कार्यान्वयन हेतु उक्त राशि का व्यय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।

4. इस योजना से संबंधित नियमावली/विस्तृत दिशा–निर्देश परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

01.07.25

(संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5516 पटना, दिनांक– 03/7/2025

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सचिव, 01.07.25

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5516 पटना, दिनांक– 03/7/2025

प्रतिलिपि–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/ सभी संयुक्त–आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, 01.07.25

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5516 पटना, दिनांक– 03/7/2025

प्रतिलिपि–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, 01.07.25

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।